बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01 / 2026 33 (तेतीस) / खाद्य,पटना, दिनांक– 16/10/2026

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी (भा0प्र0से0),
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन पटना, बिहार।

विषय :– **मुख्यशीर्ष**–3456, **सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष**–00, **लघुशीर्ष**–001 **निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष**–0002 **जिला प्रभार**, विपत्र कोड 18–3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष **2026–27** के लिए **कुल 83,000/– (तिरासी हजार) रुपये मात्र** का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक–236 दिनांक–09.03.2026, पत्रांक–314 / वि0 दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–380 / वि0 दिनांक–20.04.2026 एवं पत्रांक–2561 / वि0 दिनांक–17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :–

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 वेतन	0002.01 01 वेतन	63,80,84,000	00
		0002.01 03 जीवन यापन भत्ता	41,47,55,000	00
		0002.01 04 मकान किराया भत्ता	6,44,48,000	00
		0002.01 05 परिवहन भत्ता	2,10,78,000	00
		0002.01 06 चिकित्सा भत्ता	1,11,60,000	00
		0002.01 07 अन्य भत्ता	10,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.01–वेतन		**1,15,05,25,000**	**00**
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0002.06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,00,000	83000
	योग–18–3456.00.001.0002.06–चिकित्सा प्रतिपूर्ति		**50,00,000**	**83000**
3	11 यात्रा व्यय	0002.11 01 यात्रा व्यय	67,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.11–यात्रा व्यय		**67,00,000**	**00**
4	13 कार्यालय व्यय	0002.13 01 कार्यालय व्यय	80,00,000	00
		0002.13 02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	4,00,000	00
		0002.13 03 दूरभाष	20,00,000	00
		0002.13 04 विद्युत प्रभार	50,00,000	00
		0002.13 05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		0002.13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	3,00,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.13–कार्यालय व्यय		**4,59,00,000**	**00**
5	14 किराया महसूल एवं कर	0002.14 01 किराया महसूल एवं कर	1,000	00

	योग–18–3456.00.001.0002.14–किराया महसूल एवं कर		**1,000**	00
6	16 प्रकाशन और मुद्रण	0002.16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	1,00,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.16–प्रकाशन और मुद्रण		**1,00,00,000**	**00**
7	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	5,00,000	00
	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 03 प्रशिक्षण व्यय	20,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.20–अन्य प्रशासनिक व्यय		**25,00,000**	**00**
8	21 सामग्री और पूर्तिया	0002.21 01 सामग्री एवं पूर्तियॉ	50,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.21–सामग्री एवं पूर्तियॉ		**50,00,000**	**00**
9	26 विज्ञापन और प्रकाशन	0002.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन	50,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.26–विज्ञापन और प्रकाशन		**50,00,000**	**00**
10	28–व्यवसायिक सेवायें	00 02.28 02 संविदा सेवायें	2,16,32,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.28 व्यवसायिक सेवायें		**2,16,32,000**	**00**
11	51 मोटर वाहन	0002.51 01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.51 मोटर वाहन		**1,000**	**00**
कुल योग–18–3456.00.001.0002 जिला प्रभार			**1,25,22,59,000**	**83,000**

2. **कुल 83,000/– (तिरासी हजार) रुपये मात्र** का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है।

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 06 01	जी0या0भत्ता 01 03	मकान भत्ता 01 04	परिवहन भत्ता 01 05	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन पटना,	83000	00	00	00	**83000**

3. उक्त व्यय का वहन मुख्यशीर्ष–3456, सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं0–18–3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक–236 दिनांक–09.03.2026, पत्रांक–314/वि0 दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–380/वि0 दिनांक–20.04.2026 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5. जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1143 दिनांक–24.09.2026 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जाता है।

6. वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय नही हो सकने वाली राशि का प्रत्यर्पण ससमय आवश्य कर दिया जाए।

7. वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय के पश्चात् व्ययित राशि का व्यय प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करेगें।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

15/10/26
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 33 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 16/10/2026
प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/26
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 33(बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 16/10/2026
प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/26
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 33(बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 16/10/2026
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1143 दिनांक–24.09.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/26
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 33 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 16/10/2026
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/10/26
निदेशक–सह–विशेष सचिव।